राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1546/2014.....जिला.....अलवर.....

उनवान– मैसर्स गायत्री ट्रेवल्स, नीमच,मध्य प्रदेश बनाम् स.वा.क.अ. घट–प्रथम, बहरोड़, शाहजहांपुर ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

05.09.2014

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, बहरोड़, वृत्त–शाहजहांपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 76(6)(12)(13) के तहत् पारित आदेश दिनांक 13.08.2014 में आरोपित शास्ति राशि रू.6,84,689/– में से रू.6,66,230/–की वसूली पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को विवादित किया गया है।

अपीलार्थी की ओर से श्री ओ.पी.माहेश्वरी, अभिभाषक व विभाग की ओर से श्री ओम प्रकाश, स.वा.क.अ. (रिवीजन), अजमेर स्थगन आवेदन पत्र पर बहस हेतु दिनांक 03.09.2014 को उपस्थित हुये।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा वसूली पर रोक लगाने के हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करने के आदेश में किसी प्रकार के कारणों का कोई अंकन नहीं किया गया है । केवल सशक्त अधिकारी द्वारा प्रेषित टिप्पणी के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार किया गया है, जो अस्पष्ट आदेश की श्रेणी में आता है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में 102 आई.टी.आर. 281 के न्यायिक दृष्टांत को प्रोद्धरित किया गया। इस संबंध में अग्रिम कथन किया कि माल राज्य के बाहर से यानि दिल्ली से राज्य के बाहर नीमच, मध्य प्रदेश के लिये परिवहनीत किया जा रहा था, जिसके संबंध में वक्त जांच वाहन चालक द्वारा बिल्टी संख्या 3913 व 3914 प्रस्तुत की गयी थीं जिनमें समस्त परिवहनीत माल के विवरण अंकित थे। इस संबंध में जांच अधिकारी द्वारा अभियोजनवर्ज करते समय इस तथ्य का अंकन करना कि वाहन चालक द्वारा कुछ माल राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा के लिये परिवहनीत किया जा रहा था, पूर्णतः गलत, काल्पनिक व निराधार है। इस संबंध में वाहन चालक द्वारा शपथ पत्र भी अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा बिना उक्त पर विचार किये ही सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश को उचित होना

लगातार.....2

05.09.2014

निर्धारित कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार किया गया है। विशिष्ट रूप से कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा वक्त जांच प्रस्तुत इन्वॉयसेज को मिथ्या व कूटरचित होना अवधारित किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । कथन किया कि समस्त व्यवहारियों के टिन, दूरभाषक नं., मोबाईल नं. व पते, जिनका माल जरिये मास्टर बिल्टी क्रमांक 3913 व 3914 के जरिये परिवहनीत किया जा रहा था, सशक्त अधिकारी व अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत किये गये थे। परन्तु उक्त समस्त वैद्य दस्तावेजों की अनदेखी कर, मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर माल का परिवहन करना अवधारित कर, शास्ति व करारोपण करना पूर्णतः अविधिक एवम् अनुचित है। कथन किया कि दस्तावेजों में अंकित स्थानों पर जांच प्रत्यर्थी राशक्त अधिकारी द्वारा नहीं की गयी है जबकि स्थानीय विक्रय कर विधि के प्रावधानों के आलोक में, राज्य के बाहर माल को भेजने/आयात करने की दशा में, माल भेजने/प्राप्त करने की तिथि के पश्चात् भी स्थानीय मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम एवम् केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत् पंजीकरण प्राप्त करने के प्रावधान, अपंजीकृत व्यवहारियों के लिये भी हैं। अपने कथन के समर्थन में माननीय न्याययलयों के न्यायिक दृष्टांत स.वा.क.अ. उड़नदस्ता–द्वितीय, जयपुर बनाम् मैसर्स सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कम्पनी, (1998) 108 एस.टी.सी. 490 (आर.टी.टी.), सहायक आयुक्त, उड़नदस्ता, मुख्यालय, जयपुर बनाम् मैसर्स ग्लोब ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जयपुर (2000) 27 आर.टी.जे.एस. 42 (आर.टी.टी.), स.वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, भरतपुर बनाम् मैसर्स एस.के.एन्टरप्राईजेज 15 टैक्स अपडेट 166, राजस्थान राज्य एण्ड अदर्स बनाम् मैसर्स सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कम्पनी, (2001) 10 एस.टी.टी. 219 (राज.) व राजस्थान राज्य एण्ड अदर्स बनाम् मैसर्स सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कम्पनी, (2001) 10 एस.टी.टी. 218 (सु.को.) को प्रोद्धरित कर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन प्रथम दृष्ट्या, अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट किया जाकर, बकाया वसूली योग्य मांग राशि रू.6,66,230/– की वसूली पर रोक लगाने का निवेदन किया अन्यथा अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया ।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण अधिकारी एवम् अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने का कथन किया गया। इस संबंध में अग्रिम अभिवाक् किया कि अधिनियम की धारा 76(12) व 76(13) के प्रावधान विशिष्ट हैं तथा मिथ्या दस्तावेजों के जरिये माल का परिवहन किया जाना प्रकट है । प्रतिसत्यापन जांच में भी प्रेषक व प्रेषिति व्यवहारियों का अस्तित्व दिल्ली/मध्य प्रदेश में होना नहीं पाया गया है। अतः ऐसी स्थिति में, करापवंचन के उद्देश्य से मिथ्या दस्तावेजों के जरिये माल का परिवहन किया जाना प्रकट है। लिहाजा, प्रकरण व सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट कर, बकाया वसूली योग्य मांग राशियों

लगातार.....3

05.09.2014

पर रोक नहीं लगाने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय बहस पर ननन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकरियों द्वारा पारित आदेशों के गहन अध्ययन के पश्चात, यह पीठ माननीय न्यायालयों के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर, अपीलार्थी के विरूद्ध कायम की गयी मांग राशि में से रू. 6,66,230/–की वसूली कार्यवाही पर सशक्त अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, तक रोक लगायी जाती है। रोक आदेश की पालना के अभाव में उक्त स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेगा। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें ।

अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

5.9.2014

(मदन लाल)
सदस्य